श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री बलराज मधोक :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को अब तक श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय से अनुवाद के लिए कितने प्रपत्र तथा नियमावलियां प्राप्त हुई हैं ;

(ख) ये प्रपत्र तथा नियमावलियां किस तारीख को प्राप्त हुई थीं तथा इनमें से कितनी अनुवाद करके वापिस भेज दी गई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इनके अनुवाद में अनावश्यक विलम्ब हुआ है, यदि हां तो क्या इनका शीघ्र अनुवाद करके वापस भेजने के लिये कार्यवाही की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय से 1961 से 1968 वर्षों के दौरान विभिन्न तारीखों पर अनुवाद के लिए 582 प्रपत्र और 75 नियमावलियां प्राप्त हुई थीं। अब तक 509 प्रपत्रों और 62 नियमावलियों को अनुदित करके वापिस भेज दिया गया है । बाकी प्रपत्र और नियमावलियां अनुवाद के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

(ग) और (घ). क्योंकि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित संहिताओं, नियमावलियों और प्रपत्रों और अन्य विधितर साहित्य को अनुदित करने की जिम्मेदारी निदेशालय की है, इसलिए कभी-कभी विभिन्न कारणों से देरी हो ही जाती है । अनुवाद कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए, बाहर की एजेन्सियों को भी कुछ अनुवाद कार्य ठेके पर देने का निर्णय किया गया है ।

पन्त पोलिटेक्निक, दिल्ली के छात्रों से शुल्क लिया जाना

6773. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1968 में उन छात्रों से शुल्क वसूल किया गया था जिन्हें ओखला स्थित पन्त पोलिटैक्निक में जो दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियमों के अनुसार उन छात्रों से जिन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है शुल्क नहीं लिया जाता ;

(ग) यदि हां, तो उन छात्रों से लिया गया शुल्क उन्हें कब लौटा दिया जायेगा ; और

(घ) उनको अब तक शुल्क की राशि न लौटाए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, वे छात्र जिन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, शिक्षा शुल्क की अदायगी से भी मुक्त होते हैं और पहले अदा की गई फ़ीस उन्हें वापिस कर दी जाती है ।

(ग) और (घ). फीस वापिस कर दी गयी है ।

कच्छ क्षेत्र का विकास

6774. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

श्री रघुनाथ सिंह शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ के समूचे क्षेत्र का विकास करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो उसकी रूप रेखा क्या है :

(ग) कच्छ के रन में से पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा की जाने वाली तस्करी को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) पाकिस्तानी घुसपैठियों को कच्छ में घूमने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). गुजरात सरकार के अनुसार कच्छ क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं :

राज्य क्षेत्र :

1. सिंचाई कूपों को खोदना तथा बिजली के पम्प सेट लगाना ।
2. नल-कूप खोदना ।
3. सिंचाई हौजों का निर्माण ।
4. मध्यम सिंचाई योजनाएं ।
5. मत्स्य-पालन का विकास ।
6. औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना ।
7. ग्रामीण उद्योग प्रयोजना ।
8. गुजरात राज्य के सामूहिक विद्युत ग्रिड के साथ कच्छ को मिलाना (धुवरन से भुज तक संचारण लाइन) ।
9. ग्रामीण विद्युतीकरण ।
10. सड़क विकास ।
11. शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा वृद्धि के लिए योजनाएं ।

केन्द्रीय क्षेत्र :

1. कांडला बन्दरगाह का विकास ।
2. कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र ।
3. सामरिक महत्व की सड़कें और पुलों का निर्माण ।

(ग) और (घ). सीमा-सुरक्षा बल द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है और तस्करी तथा किसी घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भी कच्छ जिले में जिला पुलिस दल तथा गुप्तचर एककों की संख्या में वृद्धि की है ।

Private Business run by Border Security Force Personnel

6775. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Border Security Force personnel are running private business in colonies of Delhi ;

(b) whether it is permissible for a Government employees to run private business in the form of Coal Depot. etc. under the Conduct Rules ;

(c) whether any complaints have been received by the Department of Civil Supplies, Delhi Administration against the personnel, who are running such business without the valid permit or licence from the Civil Supplies Department ;

(d) whether any inquiries have been made on such complatnts and ; if so, the results of such inquiry ; and

(e) what action Government propose to take against these employees ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.